न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी
जिला सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी–श्री बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
60 / 2022	28.10.2022	20.2.2026

1. गुलाब पुत्र हाबूडया, माली निवासी तलावडा गंगापुर सिटी
2. रामधन पुत्र हाबूडया, माली निवासी तलावडा गंगापुर सिटी
3. सम्पू पुत्र हाबूडया, माली निवासी तलावडा गंगापुर सिटी
4. हीरया पुत्र हाबूडया, माली निवासी तलावडा गंगापुर सिटी

—प्रार्थीगण

बनाम

1. टूण्डो देवी बेबा भजन, माली निवासी तलावडा गंगापुर सिटी
2. नवली देवी बेबा पप्पू, माली निवासी तलावडा गंगापुर सिटी
3. ललिता पुत्री पप्पू पत्नी दलबीर, माली निवासी खूबपुरा तह0 सपोटरा
4. नरी पुत्री पप्पू पत्नी मुखराज, माली नि. खूबपुरा तह0 सपोटरा
5. सुमन पुत्री पप्पू पत्नी चेतराम, माली निवासी नंदपुरा तह0 सपोटरा
6. मनीषा पुत्र पप्पू पत्नी अनिल, माली निवासी नंदपुरा तह0 सपोटरा
7. भूरी पुत्री पप्पू, माली निवासी तलावडा गंगापुर सिटी
8. लवकुश पुत्र पप्पू नाबालिग जरिए संरक्षक माता नवलीदेवी पत्नी पप्पू माली निवासी तलावडा
9. मनखुश पुत्र पप्पू नाबालिग जरिए संरक्षक माता नवलीदेवी पत्नी पप्पू माली निवासी तलावडा
10. गुडडी पुत्री भजन पत्नी पप्पू, माली निवासी महुकलॉ तह0 गंगापुर सिटी
11. दक्खो पुत्री भजन पत्नी सीताराम, माली निवाी महुकलॉ तह0 गंगापुर सिटी
12. रामेश्वरी उर्फ सुर्रो पुत्री भजन पत्नी धर्मसिंह, माली निवासी उघाडमल बालाजी तह0 गंगापुर सिटी
13. लाडबाई पुत्री भजन पत्नी किरोडी, माली निवासी उघाडमल बालाजी तह0 गंगापुर सिटी
14. मुक्ति पुत्री भजन पत्नी [illegible] निवासी फर्रासपुरा तह0 सपोटरा
15. लैण्ड होल्डर द्वारा तहसीलदार तलावडा

—अप्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.02.27 15:34:53 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र बाबत् दिलवाने जाने रास्ता
तहत धारा 251 (ए) राजस्थान टिनेन्सी एक्ट

उपस्थित :— श्री सतीश कुमार शर्मा, एडवोकेट, प्रार्थीगण की ओर से
श्री भानू कुमार सिंहल, एड.,अप्रार्थी नं0 1, 10 से 14 की ओरसे

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

गुलाब वगैरा बनाम टुण्डो वगैरा, प्रा0पत्र 251(ए) आर0टी0एक्ट

श्री हुकमसिंह गुर्जर, एड. अप्रार्थी संख्या 1 ता 9 की ओर से

निर्णय

उपरोक्त उनवानी प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण गुलाब वगैरा ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251(ए) के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया है कि आराजी हाल ख0न0 1332 रकबा 0.69 है0, ख0न0 1344 रकबा 0.52 है0, ख0न0 1345 रकबा 0.25 है0 ग्राम तलावडा प्रार्थीगण कीखातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि हैं जिससे प्रार्थीगण लगातार लाभान्वित होते चले आ रहे है। प्रार्थीगण की भूमि ख0न0 1344 से लगती हुई भूमि ख0न0 1362 हे0 ग्राम तलावडा मृतक खातेदार भजन पुत्र गंगाधर की खातेदारी मे दर्ज है। अप्रार्थी संख्या 1 ता 14 मृतक भजन के वारिस व खातेदार है। उक्त रास्ते की भूमि ख0न0 1365 से लगती हुई है जो आम रास्ता है तथा सरकारी भूमि के रूप मे दर्ज है। प्रार्थीगण ख0न0 1344 मे आने जाने का रास्ता अप्रार्थीगण की भूमि ख0न0 1362 मे होकर है जिसे नजरी नक्शे मे लाल रंग से दर्शाया गया है। उक्त रास्ता हमेशा से प्रार्थीगण के खेतो मे आने जाने के लिए उपयोग मे आता रहा है परन्तु पिछले कुछ समय से खातेदार भजन की मृत्यु के बाद अप्रार्थीगण ने उक्त रास्ते मे होकर आम रास्ते तक पहुचने मे बाधा उत्पन्न करना शुरू कर दिया, अप्रार्थीगण आये दिन उक्त रास्ते का कभी कांटे लगाकर या घासफूस डालकर अवरूद्ध कर लगें। प्रार्थीगण को अपने खेत ख0न0 1344, 1345 पर पहुचने का सबसे छोटा रास्ता यही है। इसलिए प्रार्थीगण का अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ख0न0 1362 रकबा 0.23 है0 ग्राम तलावडा मे से नजरी नक्शे मे दर्शाये गये लाल रंग की भूमि को 30 फिट चौडाई मे ख0न0 1365 ख0न0 1344 तक रास्ते की भूमि के रूप मे दर्ज कर रास्ता दिलाया जावे तथा उक्त रास्ते की भूमि को सरकारी रास्ते की भूमि के रूप मे दर्ज किया जावें। अतः प्रार्थना पत्र पेशकर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उनके खातेदारी भूमि ख0न0 1344 से आम सरकारी रास्ते ख0न0 1365 तक पहुचने के लिए ख0न0 1362 मे होकर नजरी नक्शे मे दर्शाये गये लाल रंग की भूमि मे होकर 30 फिट चौडाई मे रास्ता दिलाया जावे तथा उक्त रास्ते की भूमि को सरकारी रास्ते के रूप मे दर्ज किया जावे ... सरकारी डीएलसी रेट की दरों से प्रार्थीगण को अवगत कराये ताकि प्रार्थी ... मुआवजा राशि अदा कर सकें।

प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थीग... को तलब किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.02.27 15:34:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 1 व 10 ता 14 की ओर से जबाब इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि भूमि ख0न0 1344 मे आने जाने का रास्ता आज तक कभी भी अप्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि ख0न0 1362 मे होकर नही रहा है। प्रार्थीगण ने वादपत्र के साथ जो नक्शा प्रस्तुत किया है वह नक्शा जानबूझकर गलत प्रस्तुत किया है। जिसमे केवल ख0न0 1346, 1345, 1344 व 1362 की भूमि को ही दर्शाया गया है तथा ख0न0 1344 व 1345 मे आने जाने का कोई रास्ता शुरू से अब तक भी ख0न0 1345 के उत्तर की ओर बना हुआ है उसे जानबूझकर दर्शाया नही गया है। उक्त आस पास की भूमियो का व प्रार्थीगण के खेतो मे आवागमन हेतु जिस रास्ते का उपयोग किया जाता रहा है उसका नजरी नक्शा अप्रार्थीगण अपने जबाब के साथ पेश कर रहे है। प्रार्थीगण के खेतो मे जाने को जो रास्ता मौके पर व रिकॉर्ड मे मौजूद है उसे जबाब के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे मे बरंग नीले से दर्शाया जा रहा है। जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र दुर्भावना पूर्ण तरीके से रास्ते को छिपाते हुए अप्रार्थीगण के खेत मे होकर एक नवीन रास्ता और निकालने के लिए प्रस्तुत किया है। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र गलत तरीके एवं तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया है जो खारिज होने योग्य है। अतः जबाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावें।

अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 9 की ओर से कोई जबाब प्रस्तुत नही किया गया।

प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थीगण ने नकल जमाबंदी सं0 2070 से 2073 खाता संख्या 369, 207 ग्राम तलावडा, नजरी नक्शा, नकल नक्शा ट्रेस प्रस्तुत किये हैं।

जबाब के समर्थन में अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 ने कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए हैं।

प्रस्तुत मामले में प्रार्थी द्वारा चाहे जा रहे रास्ते के सम्बन्ध में तहसीलदार तलावडा से रिपोर्ट मंगवाई गई। तहसीलदार तलावडा ने उनके कार्यालय के पत्रांक राजस्व/22/434 दिनांक 19.12.2022 के साथ भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्त तलावडा, पटवारी हल्का तलावडा की रिपोट मूल ही भिजवाए हैं।

बहस विद्वान वकील उभयपक्ष सुनी गई।

प्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपने प्रार्थना पत्र के अनुरूप बहस करते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.02.27 15:34:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

अप्रार्थीगण ने अपने जवाब के अनुरूप बहस करते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। प्रार्थीगण ने उनकी खातेदारी भूमि ख0नं0 1332, 1344, 1345 में आने जाने के लिए रास्ता चाहा है। तहसीलदार तलावडा से प्राप्त रिपोर्ट भू–अभिलेख निरीक्षक तलावडा व पटवारी हलका तलावडा, मौका पर्चा के अनुसार सबसे कम दूरी का रास्ता प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता है जो ख0न0 1362 मे होकर है। पूर्व मे खातेदारों द्वारा ख0न0 1361, 162 के बीच डौल के रूप मे काम मे लिया जा रहा है वर्तमान मे उक्त रास्ता बंद है। वर्तमान मे भूमि मे रबी की फसल खडी है। प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते की लम्बाई 130 फिट व चौडाई 15 फिट है। डी.एल.सी. रेट से भूमि की कीमती 17970 रूपये (181.55 वर्गमीटर) है। बैंक अकाउन्ट सम्बधित जानकारी अप्रार्थीगण द्वारा नही दी गई है। ख0न0 1362 मे वर्तमान मे फसल खडी है। कृषि कार्य मे वर्तमान मे भूमि का उपयोग हो रहा है। प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि तक आने जाने हेतु रास्ता आबादी भूमि तक है उसके बाद राजस्व रिकॉर्ड मे सरकारी रास्ता नही है। इसलिए भू–अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हलका ने अपनी जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है एवं रिपोर्ट के साथ जो नजरी नक्शा प्रस्तुत किया है उसके अनुसार प्रार्थीगण को ख0नं0 1362 ग्राम तलावडा में होकर नवीन रास्ता भू–अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हलका द्वारा अपनी रिपोर्ट में दर्शाई गई नाप के अनुसार दिया जाना एवं भूमि के सम्बन्धित खातेदारान को तहसीलदार तलावडा के पत्र के साथ प्राप्त मौका रिपोर्ट में वर्णित विवरण के अनुसार भूमि का मुआवजा दिया जाना उचित है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा धारा 251(ए) राज0टीनेन्सी एक्ट के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण को उनकी खातेदारी भूमि ख0नं0 1332, 1344, 1345 ग्राम तलावडा में पहुंचने के लिए भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्त तलावडा एवं पटवारी हलका तलावडा द्वारा नजरी नक्शा में काले रंग [illegible] टेड लाइन से दर्शित ग्राम तलावडा की भूमि ख0नं0 1362 [illegible] लम्बाई 130 फिट कुल 1950 वर्गफिट या 181.55 वर्गमीटर [illegible] के रूप में दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्त तलावडा एवं पटवारी हलका तलावडा द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा ट्रेस निर्णय का हिस्सा रहेगा। इसके अनुसार रास्ता में आने वाली भूमि सम्बन्धित खातेदारों की खातेदारी से

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.02.27 15:34:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

कम की जाकर गै0मु0रास्ते के रूप में राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जावे एवं नक्शा ट्रेस में नजरी नक्शा के अनुसार रास्ते की तरमीम की जावे।

भूमि ख0नं0 1362 की किस्म बारानी 2 है। जिसकी डीएलसी दर 450000/– प्रति है0 है। इस अनुसार रास्ते मे दर्ज की जाने वाली भूमि 181.55 वर्गमीटर की राशि 8170 बनती है। जिसकी भू–अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हलका से प्राप्त रिपोर्ट में वर्णित राशि के अनुसार भूमि ख0नं0 1362 में 181.55 वर्गमीटर भूमि रास्ते में आ रही है जिसके लिए भूमि के खातेदार मृतक खातेदार भजन पुत्र गंगाधर माली के विधिक वारिसान को का दो गुना राशि रू0 8170/– का दो गुना 16340/–मुआवजा राशि के रूप में दिए जाने का आदेश दिया जाता है।

चूंकि अप्रार्थीगण ने अपने बैंक खाता नम्बर उपलब्ध नहीं कराए हैं अतः उपरोक्तानुसार मुआवजा राशि के बैंकर चैक प्रार्थी उपरोक्तानुसार सम्बन्धित खातेदारों के नाम बनवाकर भुगतान हेतु तहसीलदार तलावडा के कार्यालय में जमा करावें। निर्णय की प्रति पालना हेतु तहसीलदार तलावडा को मय नजरी नक्शा भिजवाई जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.2.2026 को सुनाया गया।

(बृजेन्द्र मीना)
उप. जिला कलेक्टर
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी
गंगापुर सिटी (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.02.27 15:34:53 IST
Reason: SelfAttested